राजस्व वाद 259/2021
जीसीएमएस नंबर– 2021/
कालुराम वगैरह बनाम् किशनाराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 259/2021

वादीगण–

1. कालुराम पुत्र नानूराम
2. भोलाराम पुत्र नानूराम

जातियान जाट निवासीगण कुसिया, तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. किशनाराम पुत्र नानूराम
2. कलाराम पुत्र नानूराम
3. प्रेमाराम पुत्र नानूराम
4. सहदेव पुत्र नानूराम
5. सुखी पुत्री नानूराम
6. बाउ पुत्री नानूराम
7. सन्तोष पुत्री नानूराम
8. नानूराम पुत्र रामाराम
9. सोहनी पत्नी नानूराम

जातियान जाट निवासीगण कुसिया, तहसील जायल जिला–नागौर।

10. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 10 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 21/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा कुसिया तहसील जायल में खेत खसरा नं. 163/349 रकबा 3.6584 व खसरा नंबर 202/299 रकबा 0.0809 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नंबर 37 रकबा 1.3678 हैक्टैयर व खसरा नंबर 14/281 रकबा 2.5252 हैक्टैयर रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2074 की आखातीज को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के (क से ज) क अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी कालुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा

21/6/2022
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

कुसिया का खेत खसरा नंबर 163/349 रकबा 3.6584 में से 0.5989 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 14/281 रकबा 2.5252 हैक्टेयर में से 0.6474 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी संख्या 2 भोलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 163/349 रकबा 3.6584 में से 0.5989 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 14/281 रकबा 2.5252 हैक्टेयर में से 0.6474 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 किशनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 37 रकबा 1.3678 हैक्टेयर में से 0.6839 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 14/281 रकबा 2.5252 हैक्टेयर में से 0.5827 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 कलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 163/349 रकबा 3.6584 में से 0.6070 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 14/281 रकबा 2.5252 हैक्टेयर में से 0.6474 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 प्रेमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 163/349 रकबा 3.6584 में से 0.5179 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 37 रकबा 1.3678 हैक्टेयर में से 0.6839 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है तथा खसरा नंबर 163/349 रकबा 3.6584 हैक्टेयर में से 0.0323 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार राज हक में रास्ता हेतु रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 4 सहदेव के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 163/349 रकबा 3.6584 हैकटेयर में से 1.2545 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 नानूराम व सोहनी देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 202/299 रकबा 0.0809 हैक्टेयर सहखातेदारी में रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 सुखी, बाउ, सन्तोष के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 ने दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प कोर्ट धारणा में जरिये अधिवक्ता एवं स्वंय उपस्थिति के साथ राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की पहचान अधिवक्ता रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 10 स्वयं आदेशिका में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 10 राजपैरोकार केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र कालुराम , भोलाराम पुत्र नानूराम तथा कलाराम पुत्र नानूराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम कुसिया

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(एस.डी.ओ.) जायल

तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 91 प्रदर्श–1, खाता संख्या 229 प्रदर्श–2 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 9 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरीनक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं माफिक वादपत्र नजरीनक्शे पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 राजपैरोकोर केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.11.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा कुसिया के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खेत खसरा नं. 202/229 की भूमि को यथावत प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के हक बंट में तथा शेष मुतदाविया खेत खसरा नंबर 163/349, 14/281, 37 की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगणों द्वारा हिस्से विशेष की भूमि का बंटवाड़ा चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजेन नहीं है अतः मौजा कुसिया के खेत खसरा नंबर 163/349, 14/281, 37 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 14.12.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 14.12.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2268 दिनांक 11.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव

तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी नानुराम, सोहनी, भोलाराम, पेमाराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान महेन्द व उमाराम तथा भू.अभि.निरीक्षक फरडोद की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 सुखी, बाउ, सन्तोष के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का नियमानुसार राज हक में स्टाम्प शुल्क लिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः मौजा कुसिया तहसील जायल में खेत खसरा नं. 163/349 रकबा 3.6584 व खसरा नंबर 202/299 रकबा 0.0809 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नंबर 37 रकबा 1.3678 हैक्टैयर व खसरा नंबर 14/281 रकबा 2.5252 हैक्टैयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कुसिया तहसील जायल में खेत खसरा नं. 163/349 रकबा 3.6584 व खसरा नंबर 202/299 रकबा 0.0809 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नंबर 37 रकबा 1.3678 हैक्टैयर व खसरा नंबर 14/281 रकबा 2.5252 हैक्टैयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी कालुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 163/349 रकबा 3.6584 में से 0.5746 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 14/281 रकबा 2.5252 हैक्टेयर में से 0.6474 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 भोलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 163/349 रकबा 3.6584 में से 0.5989 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 14/281 रकबा 2.5252 हैक्टेयर में से 0.6474 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 किशनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 37 रकबा 1.3678 हैक्टेयर में से 0.6839 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 14/281 रकबा 2.5252 हैक्टेयर में से 0.5827 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 कलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 163/349 रकबा 3.6584 में से 0.6070 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 14/281 रकबा 2.5252 हैक्टेयर में से 0.6474 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) जायल

राजस्व वाद 259 / 2021
जीसीएमएस नंबर— 2021 /
कालुराम वगैरह बनाम किशनाराम वगैरह

5. प्रतिवादी संख्या 3 प्रेमाराम के हक बट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 163 / 349 रकबा 3.6584 में से 0.5179 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 37 रकबा 1.3678 हैक्टेयर में से 0.6839 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है तथा खसरा नंबर 163 / 349 रकबा 3.6584 हैक्टेयर में से 0.0323 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार राज हक में रास्ते हेतु रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 4 सहदेव के हक बट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 163 / 349 रकबा 3.6584 हैक्टेयर में से 1.2545 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
7. प्रतिवादी संख्या 8 व 9 नानूराम व सोहनी देवी के हक बट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 202 / 299 रकबा 0.0809 हैक्टेयर सहखातेदारी में रखा गया है।
8. प्रतिवादी संख्या 5 से 7 सुखी, बाउ, सन्तोष के हक बट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का नियमानुसार राज हक में स्टाम्प शुल्क लिया जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
9. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
10. बैंक के रहन खसरान के संबध में संबधित बैंक को सूचित हो (रहन होने के पर)

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 259/2021
जीसीएमएस नंबर– 2021/
कालुराम वगैरह बनाम् किशनाराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 259/2021

वादीगण–

1. कालुराम पुत्र नानूराम
2. भोलाराम पुत्र नानूराम , जातियान जाट निवासीगण कुसिया, तहसील जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. किशनाराम पुत्र नानूराम
2. कलाराम पुत्र नानूराम
3. प्रेमाराम पुत्र नानूराम
4. सहदेव पुत्र नानूराम
5. सुखी पुत्री नानूराम
6. बाउ पुत्री नानूराम
7. सन्तोष पुत्री नानूराम
8. नानूराम पुत्र रामाराम
9. सोहनी पत्नी नानूराम, जातियान जाट निवासीगण कुसिया, तहसील जायल।
10. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 10 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 9 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 10 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कुसिया तहसील जायल में खेत खसरा नं. 163/349 रकबा 3.6584 व खसरा नंबर 202/299 रकबा 0.0809 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाडा, खसरा नंबर 37 रकबा 1.3678 हैक्टैयर व खसरा नंबर 14/281 रकबा 2.5252 हैक्टैयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

21/6/2022

1. वादी कालुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 163 / 349 रकबा 3.6584 में से 0.5746 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 14 / 281 रकबा 2.5252 हैक्टेयर में से 0.6474 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 भोलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 163 / 349 रकबा 3.6584 में से 0.5989 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 14 / 281 रकबा 2.5252 हैक्टेयर में से 0.6474 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 किशनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 37 रकबा 1.3678 हैक्टेयर में से 0.6839 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 14 / 281 रकबा 2.5252 हैक्टेयर में से 0.5827 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 कलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 163 / 349 रकबा 3.6584 में से 0.6070 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 14 / 281 रकबा 2.5252 हैक्टेयर में से 0.6474 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 3 प्रेमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 163 / 349 रकबा 3.6584 में से 0.5179 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 37 रकबा 1.3678 हैक्टेयर में से 0.6839 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है तथा खसरा नंबर 163 / 349 रकबा 3.6584 हैक्टेयर में से 0.0323 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार राज हक में रास्ते हेतु रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 4 सहदेव के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 163 / 349 रकबा 3.6584 हैकटेयर में से 1.2545 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
7. प्रतिवादी संख्या 8 व 9 नानूराम व सोहनी देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर 202 / 299 रकबा 0.0809 हैक्टेयर सहखातेदारी में रखा गया है।
8. प्रतिवादी संख्या 5 से 7 सुखी, बाउ, सन्तोष के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का नियमानुसार राज हक में स्टाम्प शुल्क लिया जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
9. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
10. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो (रहन होने के पर)

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

[illegible] दावा 259 / 202[illegible]

[illegible] नम्बर - 2021

कालुराम वगैरह बनाम किशनाराम वगैरह

तीज — मुबलिग [illegible] **बाबत** खर्चा इस मुकदमा के मद व भारह [illegible] बवक्त मेरे दस्तखत व [illegible] 21/6/2022 को [illegible] है

	रुपया	पैसे		रुपया	पैसे
[illegible]			मुदायलाह		
[illegible]			स्टाम्प वकालतनामा		
[illegible]			स्टाम्प अर्जी		
[illegible]			वजह सबूत महनताना वकील		
[illegible]			खर्चा गवाहान		
[illegible]			फीस कमिश्नर		
[illegible] हुक्मनामा			बावत हुक्म हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट — इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी [illegible] कमिश्नर का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया [illegible] या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल, नागौर